न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2017

1. हुसैन खान पुत्र शफी मोहम्मद
2. रफीक खान पुत्री गुलामरसूल
3. ऐमना पत्नी इदरीस खान
4. रहमत अली पुत्र खान मोहम्मद
5. मुश्ताक अली पुत्र सफी मोहम्मद

जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 केएलडी ग्राम पं. 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. युनिस अली पुत्र गुलामरसूल जाति मुसलमान निवासी चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. इदरीस खान पुत्र चिरागदीन जाति मुसलमान निवासी चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना।
4. नूरसैन
5. ऐमना
6. सकीना
7. नूरनबी
8. अमीरा खातुन
9. फलकशेर
10. मामसेन

जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

17/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, घड़साना
दिनांक 24.11.2016

उपस्थिति :—

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री मंगतू राम नायक, अभिभाषक रेस्पो.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 17.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा. का. अ. की धारा 183 का पेश कर कथन किया कि वादी व वादी के भाइयों के नाम जरिए बैयनामा ख्याली से खरीदशुदा भूमि चक 8 केएलडी के प. नं. 15 / 12 मु. नं. 23 के कि. नं. 2, 9, 19 ता 22 की कुल 1.468 है. भूमि है जिस पर वादी व उसके भाई का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि में से कि. नं. 2 व 9 पर प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने जबरन कब्जा कर लिया है एवं मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटे डाल दी हैं। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अतः उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं कब्जा मिलने तक वादी को अन्तःकालीन लाभ भी दिलाया जावे ।

प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 व 5 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण पिछले 40 वर्षों से मकान

17/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं एवं पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए हैं। उक्त भूमि आबादी भूमि है । जिस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है । अतः निवेदन है कि वाद खारिज किया जावे ।

दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दु कायम किए गए । सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 24.11.2016 को वाद स्वीकार करते हुए विवादित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलवाने के आदेश दिए गए । जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पिछले 40 वर्षों से कब्जा काश्त है एवं ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए हुए हैं। विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है । अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है । विवादित भूमि के सम्बंध रा. का. अ. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा काश्त है । जिसके सम्बंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया जिसका जवाब अपीलांट द्वारा पेश किया गया। विवादित भूमि कृषि भूमि है । जिसमें सम्बंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार

17/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व न्यायालय को है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2016 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 कब्जा वापसी से सम्बंधित है, जो अपीलांट युनिस अली पुत्र गुलाम रसुल की खरीदशुदा आराजी है जो दिनांक 23.11.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय क्रय की है जिसका नामान्तरकरण दिनांक 21.02.2012 को स्वीकार हुआ है अर्थात अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा होने से नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है । अतः रेस्पो. द्वारा वाद में कब्जा किया है जिसकी वापसी का दावा सन्दर्भ कानूनों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसका जवाबदावा पेश होकर तनकीयात विनिश्चित हुई है । जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी के विवाद का विनिश्चिय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना निर्देशित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2016 विधि अनुसार है एवं कब्जा वापसी का आदेश भी कानूनी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा भविष्य में Multiple

17/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Litigation की समाप्ति हेतु यह व्यवस्था दी जाती है कि जिस भूमि पर पंचायत ने पूरे पट्टे काटे हैं वह भूमि कौनसी है का चिन्हिकरण हेतु तहसीलदार घड़साना सर्वे 10 कार्मिकों की टीम गठित करे जो मौके व रिकॉर्ड का परीक्षण कर पंचायत द्वारा काटे पट्टों की भूमि का पहचान करेंगे । अगर यह भूमि खातेदारी की है तो विकास अधिकारी सक्षम प्रधिकारी के समक्ष सन्दर्भ कानूनों में पट्टे निरस्त करवाने की कार्यवाही करें, निर्णय की प्रति तहसीलदार घड़साना व विकास अधिकारी घड़साना को पृष्ठांकित कर पालना एक माह में मंगवायें।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

17/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. हुसैन खान पुत्र शफी मोहम्मद
2. रफीक खान पुत्री गुलामरसूल
3. ऐमना पत्नी इदरीस खान
4. रहमत अली पुत्र खान मोहम्मद
5. मुश्ताक अली पुत्र सफी मोहम्मद

जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 केएलडी ग्राम पं. 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर। --**अपीलांट्स**

बनाम

1. युनिस अली पुत्र गुलामरसूल जाति मुसलमान निवासी चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. इदरीस खान पुत्र चिरागदीन जाति मुसलमान निवासी चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना।
4. नूरसैन
5. ऐमना
6. सकीना
7. नूरनबी
8. अमीरा खातुन
9. फलकशेर
10. मामसेन

जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 केएलडी ग्राम पंचायत 2 केएलडी तह. घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

--रेस्पोडेन्टान

अपील सं. 10/2017 नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम घडसाना. मुर्ख्ख 24 माह 11 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 08 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री तेजा सिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री मंगतूराम अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री

13/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X ...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.08.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर